न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2023 G.C.M.S. No. 2023/61 दर्ज दिनांक : 01.02.2023

अपीलार्थिगण:

1. कालाराम पुत्र सवाजी, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, तह रानीवाडा जिला जालोर
2. प्रतापाराम पुत्र सवाजी, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, त. रानीवाडा जिला जालोर
3. पपीयाराम पुत्र लच्छाजी, जाति भील, निवासी शिवगढ, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
4. प्रेमाराम पुत्र धूकाराम, जाति भील, निवासी पंसेरी, तहसील जसवंपुरा जिला जालोर
5. सौरभ पत्नी हरदाराम, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, तह. रानीवाडा जिला जालोर
6. सोपु देवी पत्नी हरसनराम, जाति भील, नि. रानीवाडा कल्ला, तह. रानीवाडा जिला जालोर।
7. धूकाराम पुत्र केवाराम, जाति भील, निवासी पंसेरी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
8. प्रभुराम पुत्र बाबुलाल, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, तह. रानीवाडा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लाडु देवी पुत्री सवाजी, पत्नी जगमालजी, जाति भील निवासी रानीवाडा कल्ला, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

2 कमु देवी पुत्री सवाजी पत्नी मगाजी, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, तहसील रानीवाडा जिला जालोर

3. भूपाराम पुत्र सवाजी, जाति भील, निवासी रानीवाडा कल्ला, त. रानीवाडा व जिला जालोर।

जसा पुत्र सवाजी फौत के कायममुकाम –

4. हरदाराम पुत्र जसाजी, जाति भील

5. हरसन पुत्र जसाजी, जाति भील, निवासीगण रानीवाडा कल्ला, तह रानीवाडा जिला जालोर

शंकरराम पुत्र सवाजी फौत के कायममुकाम–

6. दिनेश पुत्र शंकरराम
7. प्रकाश पुत्र शंकरराम
8. कनु पुत्र शंकरराम
9. मुकेश पुत्र शंकरराम
10. नरेश पुत्र शंकरराम
11. रमिला पुत्री शंकरराम
12. चन्दा पुत्री शंकरराम
13. गुडीया पुत्री शंकरराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

14. लाछी पत्नी शंकरराम, जातियान भील, निवासीगण रानीवाडा कल्ला, तहसील रानीवाडा जिला जालोर
15. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर।
16. पटवारी हल्का रानीवाडा कल्ला, तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
17. सोमाराम पुत्र विरमाराम, जाति– भील, निवासी लाखावास, तहसील रानीवाड़ा, जालोर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2017 बअनवान लाडूदेवी वगैरह बनाम शंकरराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री सतपाल पुरोहित, श्री कैराराम चौधरी, श्री तुलसीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री अशोक कुमार, श्री गर्वित दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 05.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2017 बअनवान लाडूदेवी वगैरह बनाम शंकरराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रानीवाडा कल्ला, तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नंबर 1023 रकबा 0.04 हैक्टेर, खसरा नंबर 1024 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1025 रकबा 3.20 हैक्टेर, खसरा नंबर 1034/2080 रकबा 0.20 हैक्टेर कुल रकबा 3.45 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 लगायत 16 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी अपीलांट संख्या 01 लगायत 06 को जरिये बेचाना दस्तावेज दिनांक 14.09.2022 को बेचान कर दी गई। जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 को होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2022 से पूर्व शंकरराम की मृत्यु हो चुकी हैं एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 लगायत 16 शंकरराम के वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रेस्पोडेन्टगण को रेकर्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बिना मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

देखे तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के निर्दोष क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आड़ में रेस्पोंडेन्टगण वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कर उक्त कृषि भूमि का बेचान करने पर आमादा है, यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट संख्या 1, 2 एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को निर्णित व डिक्री करते हुए स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट संख्या 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकार है। अपीलांट संख्या 3 से 8 अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकार नहीं हैं। इनके द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट संख्या 3 से 8 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 04.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में वादिया लाडूदेवी व कमुदेवी को 2/7 हिस्से के खातेदार अभिधारी घोषित करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किए जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बाबत प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया तथा वादीगण के विरूद्ध नामांतरण संख्या 140 दिनांक 01.06.1992 से लेकर आगे जो भी कार्यवाही की गई, को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया गया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

4. चूंकि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर विवाद्यकवार निर्णय पारित करते हुए वादपत्र निर्णित व डिक्री किया है, अतः इस स्तर पर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णय किया जाना अपेक्षित है। जो निम्नानुसार है:-

अ. विवाद्यक संख्या 1 – आया मौजा रानीवाड़ा कल्ला तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा संख्या 1023 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1024 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1025 रकबा 3.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034/2060 रकबा 0.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.45 हैक्टेयर आराजी वादियागण की पुश्तैनी आराजी होने से वादीगण की जाति भील समाज में प्रचलित रूढ़ियों व प्रथा अनुसार उक्त आराजी में से 2/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने की अधिकारिणी है ? ....जिम्मे वादियागण।

यह विवाद्यक वादियागण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादियागण द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत मुख्य रूप से प्रदर्श 1, 2, 4 से 13 जोकि जमाबंदियां है, तथा वादग्रस्त आराजीयात के बजाय अन्य आराजीयात से संबंधित है, की प्रविष्टियों विशेष रूप से विरासतन नामांतरण के आधार पर वादियागण के भील समाज में स्थानीय स्तर पर प्रचलित रूढ़ियों व प्रथा अनुसार पुश्तैनी आराजी में जीवित पुत्रों के समान पुत्रियों को भी हक दिये जाने की परंपरा व प्रथा साबित मानते हुए उक्त विवाद्यक वादियागण के पक्ष में निर्णित किया गया।

हमारे विनम्र मत में वादपत्र एवं जवाबदावा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट एवं यह निर्विवाद है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 सवा वल्द किसना की संतान है तथा उभयपक्ष राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अंतर्गत भील समुदाय के अंतर्गत आते हैं। वादिया द्वारा वादपत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादियागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता सवा वल्द किसना भील की खातेदारी आराजी थीं। सवा वल्द किसना दिनांक 18.03.1992 को फौत हो चुका है, नामांतरण संख्या 140 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व बादलीदेवी पत्नि सवा के नाम दर्ज किया गया। जबकि स्थानीय भील समाज की प्रथा व रूढ़ी अनुसार किसी निर्वसीयती पुरूष की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति में पुत्र, पुत्री तथा पत्नि को समान अंश मिलता

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार न्यागत होता है। परंतु सवा वल्द किसना के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने जाति की प्रचलित प्रथा व रूढी अनुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सवा का फौतेदगी नामांतरण स्वीकृत नहीं किया।

हमारे विनम्र मत में प्रथम तो वादियागण द्वारा वादपत्र में अनुतोष के आधार के रूप में विरोधाभासी कथन किए हैं। जहां एक तरफ भील समाज की रूढ़ियों व प्रथाओं से शासित होना कथन किया है, वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासतन प्रावधान न्यागत होने का भी आधार लिया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात पैतृक, पुश्तैनी होना अंकित करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासतन प्रावधान लागू होना स्वीकार किया है। हमारे विनम्र मत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक केन्द्रिय सरकार गजट नोटिफिकेशन से इस संबंध में अन्यथा प्रावधान नहीं करें। अतः हस्तगत प्रकरण में संपत्ति के उत्तराधिकार व विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होने का वादियागण का कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं।

यह निर्विवाद है कि अनुसूचित जनजाति के पुरूष द्वारा धारित अचल संपत्ति के उत्तराधिकार व विरासत के संबंध में उस क्षेत्र में उक्त जनजाति के विशिष्ट समुदाय में इस संबंध में विशेष रूप से प्रचलित प्रथाओं, रूढ़ियों व परंपराओं के आधार पर स्वीकृत प्रावधान लागू होते हैं तथा इस संबंध में वादी की यह जिम्मेदारी हैं कि वह निर्विवाद रूप से साक्ष्य से यह साबित करें कि उक्त विशिष्ट अनुसूचित जनजाति समुदाय में इस संबंध में कौन–कौनसी रूढ़िगत परंपरागत विधियां प्रचलित है। वादियागण द्वारा स्वयं को सवा वल्द किसना की पुत्रियां होना अंकित किया है तथा राजस्थान राज्य के रानीवाड़ा तहसील जिला जालोर में निवासरत भील जनजाति से संबंधित होना स्वीकार किया है। इस संबंध में यह अपेक्षित था कि वादिया साक्ष्य से यह साबित करें कि उसके पिता सवा द्वारा धारित संपत्ति उन्हें किन–किन प्रचलित प्रथागत विधियों से प्राप्त हुई। उक्त प्रथागत विधियां ही सवा के वारिसान के संबंध में लागू होगी। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जोकि वादग्रस्त आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात से संबंधित जमाबंदियां है। वादी साक्ष्य में वादिया लाडूदेवी एवं कमूदेवी के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए लेकिन अधिवक्ता प्रतिवादी से साक्ष्य से जिरह नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अंकित है। प्रायः समुदाय विशेष में प्रचलित रूढ़िगत मान्य परंपराओं व प्रथाओं के संबंध में जबकि ऐसी प्रथाएं लेखबद्ध नहीं हों, समुदाय विशेष के बुजुर्ग सदस्यों की गवाही सारवान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। जिन्होंने ऐसी परंपराओं व प्रथाओं को जीवन में लंबे समय से प्रत्यक्ष जीया हों। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। वादियागण द्वारा प्रस्तुत अन्य आराजीयात की जमाबंदियां भील समाज में प्रचलित परंपरागत रूढ़िगत विधियों की पुष्टि नहीं करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 लगायत 6 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 वादिया कमूदेवी तथा रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 14 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर अपील मंजूर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण अधिवक्ता को वादी गवाह से जिरह करने एवं साक्ष्य प्रतिवादी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को बहस का अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 14.09.2022 को क्रय की गई थीं तथा क्रय दिनांक से क्रेतागण अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार व हित निहित हो चुके थें तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्रेतागण खातेदारान को पक्षकार संयोजित किए बिना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक में अपने अभिमत को प्रकट करने के कोई कारण व आधार अंकित नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण यह साबित करने में पूर्णतया असफल रही हैं कि भील समुदाय में उत्तराधिकार व विरासत के लिए विशिष्ट रूप से कौनसी विधियां प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में किये गए अंतरण को आरंभतः शून्य नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत व पारित विनिश्चय को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

ब. विवाद्यक संख्या 2 – आया वादियागण उक्त आराजी बाबत बाद घोषणा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाकर उक्त आराजी में से 2/7 हिस्सा अलग बंटवाड़ें में प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ?.....जिम्मे वादियागण।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह विवाद्यक वादियागण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के निर्णय के आधार पर वादियागण को 2/7 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का हकदार मानते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की अधिकारिणी मानते हुए इसे वादियागण के पक्ष में निर्णित किया है।

हमारे विनम्र मत में पूर्व विवेचित व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व निर्णयन से स्पष्ट है कि वादिया वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादियागण वादग्रस्त आराजीयात की सहखातेदार नहीं हो सकती तथा सहखातेदार नहीं होने से विभाजन करवाने का अधिकार नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादियागण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

स. विवाद्यक संख्या 3 – आया वादियागण ने प्रतिवादी संख्या 5/3 संतोक को गलत पक्षकार बनाया है ? ....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5/2

यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 5/3 नाते जाने तथा इन्हें किसी प्रकार के अनुतोष में शामिल नहीं करने के आधार पर यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। जो हमारे विनम्र मत में विधिसम्मत है।

द. विवाद्यक संख्या 4 – आया राजस्थान राज्य में भील जाति वर्ग को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया हुआ होने से इस वर्ग के मृतक खातेदार व्यक्ति की संपत्ति में पुत्र के जीवित रहते पुत्रियों को संपत्ति में हक नहीं मिलता है ?.............जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5/2

यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 1 से 5/2 के जिम्मे था। उक्त विवाद्यक वस्तुतः विवाद्यक संख्या 1 से संबंधित है। दोनों विवाद्यकों की मूल विवेच्य विषय वस्तु एकसमान है। अर्थात भील जनजाति के पक्षकारान पर स्थानीय क्षेत्र में समुदाय में प्रचलित उत्तराधिकार व विरासतन अधिकारों से संबंधित प्रथागत व रूढ़िगत विधियों से संबंधित है। चूंकि इस संबंध में विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व निर्णयन में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। जोकि वादियागण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। जिसकी पुनरावृति अपेक्षित नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक भी इसी अनुरूप वादियागण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

य. विवाद्यक संख्या 5 – आया वादीगण बाद बंटवाड़ा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी हैं कि प्रतिवादीगण वादियागण के बंट की उक्त आराजी में न तो स्वयं दखल करें तथा न ही किसी अन्य से दखल करावें ?...................जिम्मे वादियागण।

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादियागण की थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह विवाद्यक वादियागण के पक्ष में निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो प्राथमिक डिक्री में स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। साथ ही पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन अनुसार वादिया वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी भी नहीं रह जाती। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए इसे वादियागण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

र. विवाद्यक संख्या 6 – आया वैध स्वामियों के विरूद्ध वादियागण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं ?.................जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5/2

उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। हमारे विनम्र मत में उक्त विवाद्यक पूर्ववर्ती विवाद्यक संख्या 5 से सारवान रूप से संबंधित है तथा विवाद्यक संख्या 5 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका है तथा वादियागण वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त नहीं कर सकती। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए इसे वादियागण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में नामांतरण संख्या 140 दिनांक 01.06.1992 एवं इसके पश्चात हुई आगे की समस्त कार्यवाही को वादियागण के विरूद्ध अवैध व प्रभावशून्य भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा घोषित किया गया। जबकि इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो कोई विवाद्यक कायम किया गया एवं न ही नामांतरण संख्या 140 दिनांक 01.06.1992 एवं इसके पश्चात हुई कार्यवाही को रिकॉर्ड पर लाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश न केवल अभिकल्पित परिकल्पना पर आधारित है बल्कि नामांतरण संख्या 140 व इसके पश्चात से हुई कार्यवाही से प्रभावित पक्षकारान के विरूद्ध उन्हें सुने बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पीठ पीछे पारित एकपक्षीय आदेश है। जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। जो पुष्टियोग्य नहीं है। क्योंकि उक्त कार्यवाहियां आरंभतः शून्य नहीं मानी जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित व त्रुटिपूर्ण हो जाने से पुष्टियोग्य नहीं रह जाती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2017 बअनवान लाडूदेवी वगैरह बनाम शंकराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 को अपास्त किया जाता है। उक्त अपास्त निर्णय व डिक्री के आधार पर भू–अभिलेख में की गई प्रविष्टियां व परिवर्तन आदि अपीलांट के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन होंगी। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **05.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner